न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज, (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या :– 12/2015 **RCMS 2015/00024**

वादीगण

1. नानूराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल करकेड़ी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– मोहरी देवी बैवा नानूराम
   1/2– चौथमल पुत्र नानूराम
   1/3– ललीता पुत्री नानूराम
   1/4– चैन प्रकाश पुत्र नानूराम
   1/5– मुकेश पुत्र नानूराम
2. नोपाराम पुत्र गुमानाराम मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. चौखाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. झमकु देवी पत्नि गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. मामचन्द पुत्र मोतीराम फौत के कायम मुकाम :–
   3/1– प्रभाती बेवा मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/2– बाबूलाल पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/3– सुभाष पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/4– जितू पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/5– बनारसी पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/6– केलकी पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/7– महेश पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
4. नेमीचन्द पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
5. कानी पुत्री मोतीराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
6. विमला पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
8. फुलीदेवी पुत्री मूनाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि. 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री दौलत खाँ प्रति. 1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनॉक 22/8/2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम करकेड़ी पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

124 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.38 हैक्टर कुल रकबा 4.28 हैक्टर स्थित है, उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 के काबिज खातेदारी की पैतृक चली आ रही है, जिसका पर्चा मूना पुत्र भैरू व नानूराम नोपाराम पिता गुमानाराम मेघवंशी के नाम जारी हो रखा है, उपरोक्त कृषि भूमि को वादीगण व रेकार्डेड खातेदार रामेश्वर पुत्र मुना का कब्जा काश्त था जो रामेश्वर पुत्र मुना करीबर 8 वर्ष पहले फौत हो चुका है जिसकी नजदीकी वारिसान प्रतिवादी सं. 8 वर्ष है जो काबिज खातेदार होने से कब्जा काश्त कृषि कार्य व निर्विववाद रूप से करते आ रहे है, उपरोक्त भूमि की बा–जोत करते हुये कृषि कार्य करते हा रहे है जिससे वह वादीगण अपना जीवन यापन करते आ रहे है एवं अपने परिवार का लालन–पालन करने आ रहे है, वादीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिन्हे प्रतिवादीगण नाजायज परेशान कर रहे है एवं वादीगण को अपने हक हिस्से से वंचित करना चाहते है जबकि वादीगण कृषि भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे है। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा करने की धमकिया दे रहे है एवं जबरन कब्जा करके निर्माण कार्य करने पर उतारू है तथा वादीगण को बेदखल कर सकते है व खसरा नम्बर 125 की सींव पर पत्थर इत्यादि डालना शुरू कर दिया है। वादीगण गरीब व असहाय व बहुत निर्धन व्यक्ति है तथा एक मात्र कृषि भूमि गुजारे का साधन है खेती के सहारे ही वादीगण अपना जीवन यापन करते आ रहे है, यदि प्रतिवादीगण वादीगण को जबरन कब्जा करने में सफल हो गये तो वादीगण को अपार क्षति होगी। उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके मनचाही जगह पर निर्माण करके रहेगा एवं प्रतिवादीगण एक राय होकर उपरोक्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा होने से वाद बमुकाम करकेड़ी पैदा हुआ। वादीगण क इस्तदुआ है कि ग्राम करकेड़ी पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिअी के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.38 हैक्टर कुल रकबा 4.28 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 किसी प्रकार का दखल नही डालें जबरन कब्जा नही करे, नही अपने ऐजेन्टों से करये, नही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावें।

वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण 2, 3/1 से 3/7, 4, 5, 6, 7, 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से जमाबंदी नकल सम्वत 2068–2071, नक्शा ट्रेस की नकल, पर्चा लगान ककी छाया प्रति प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी नोपाराम गवाह बाबूलाल के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

वकील वादीगण की एक–पक्षीय बहस सुनी [illegible] वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2068–2071 ग्राम करकेड़ी के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.38 हैक्टर कुल रकबा 4.28 हैक्टर में रामेश्वर पुत्र मुन्ना भूरी पत्नि मुन्ना मेघवंशी 2.14 नानूराम नोपाराम पि. गुमाना 2.14 कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:30:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है। पर्चा लगान अनुसार मूना पुत्र भेरू कौम मेघवंशी 13 बीघा 5 बिस्वा नानूराम नोपाराम पि. गुमाना 13 बीघा 4 बिस्वा कौम मेघवंशी सा. देह खातेदार दर्ज है। मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 6 वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 की कब्जेसुदा खातेदारी सुदा भूमि में जबरन कब्जा करने तथा सींव माठ फोड़कर कच्चा पक्का निर्माण करने पर उतारू है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 की खातेदारी सुदा भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 6 बिना किसी हक अधिकार के हस्तक्षेप करने एवं कब्जा करने पर आमदा है जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना निहायत ही जरूरी है, प्रतिवादी सं. 1 से 6 का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि वे वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 की खातेदारी कब्जासुदा भूमि में जबरन कब्जा करने एवं हस्तक्षेप करने पर उतारू है। इस प्रकार वाद वादीगण काबिल डिक्री योग्य पाया गया।

आदेश

वाद वादीगण कर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम करकेड़ी पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.38 हैक्टर कुल रकबा 4.28 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 8 की खातेदारी कब्जासुदा भूमि में प्रतिवादीगण 1, 2, 3/1 से 3/7, 4, 5, 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का दखल नही डाले, जबरन कब्जा नही करे, न ही अपने एजेन्ट से कराये, न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 22/8/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–नागौर (राज.)

बइजलास : मनोज, (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 12/2015 **RCMS 2015/00024**

वादीगण

1. नानूराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल करकेड़ी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– मोहरी देवी बैवा नानूराम
   1/2– चौथमल पुत्र नानूराम
   1/3– ललीता पुत्री नानूराम
   1/4– चैन प्रकाश पुत्र नानूराम
   1/5– मुकेश पुत्र नानूराम
2. नोपाराम पुत्र गुमानाराम मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. चौखाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
2. झमकु देवी पत्नि गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
3. मामचन्द पुत्र मोतीराम फौत के कायम मुकाम :–
   3/1– प्रभाती बेवा मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/2– बाबूलाल पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/3– सुभाष पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/4– जितू पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/5– बनारसी पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/6– केलकी पुत्री मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
   3/7– महेश पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
4. नेमीचन्द पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
5. कानी पुत्री मोतीराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
6. विमला पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
8. फुलीदेवी पुत्री मूनाराम जाति मेघवाल निवासी करकेड़ी तहसील कुचामनसिटी

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि. 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण कर डिक्री कर घोषणा की जाती है कि ग्राम करकेड़ी पटवार मण्डल परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 123 रकबा 1.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 124 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 रकबा 1.38 हैक्टर कुल रकबा 4.28 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 8 की खातेदारी कब्जासुदा भूमि में प्रतिवादीगण 1, 2, 3/1 से 3/7, 4, 5, 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि में किसी प्रकार का दखल नही डाले, जबरन कब्जा नही करे, न ही अपने एजेन्ट से कराये, न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य करे। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 8 .... सन् 2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत................
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफ़रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 13:00:48 IST
Reason: SelfAttested